सप्तदश

बिहार विधान सभा

नवम सत्र

अल्पसूचित प्रश्न

वर्ग-4

बृहस्पतिवार, तिथि 22 आषाढ़, 1945 (श०) / 13 जुलाई, 2023 (ई०)

प्रश्नों की कुल संख्या 08

(1)	पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग	-	-	01
(2)	नगर विकास एवं आवास विभाग	-	-	03
(3)	राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	-	-	02
(4)	सहकारिता विभाग	-	-	01
(5)	कृषि विभाग	-	-	01
			कुल योग --	08

कार्रवाई करना

15. श्री विजय कुमार सिंह उर्फ डब्लू सिंह (क्षेत्र संख्या-221 नवीनगर)--स्थानीय हिन्दी दैनिक समाचार-पत्र में दिनांक 4 जून, 2023 के अंक में छपी शीर्षक "बिहार के 13.64 लाख किसानों को नहीं मिलेगा 14वीं किस्त की अगली सम्मान निधि योजना का कोई लाभ" के आलोक में क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य के 13.64 लाख किसान जानकारी के अभाव में अपना ई0के0वाई0सी0 नहीं करा पाये, जिसके कारण उन्हें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से वंचित होना पड़ रहा है ;

(2) क्या यह बात सही है कि विभाग द्वारा राज्य के सभी जिला कृषि पदाधिकारियों को इसके लिये किसानों को जागरूक करने की जिम्मेदारी दी गई थी ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार राज्य के किसानों को ई0के0वाई0सी0 कराने और किसान सम्मान निधि दिलाने हेतु कौन-सी कार्रवाई कबतक करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

औचित्य बतलाना

16. श्री पवन कुमार जायसवाल (क्षेत्र संख्या-21 डाका)--स्थानीय हिन्दी दैनिक समाचार-पत्र में दिनांक 23 नवम्बर, 2022 के अंक में प्रकाशित खबर के शीर्षक "दाखिल-खारिज में सी0ओ0 की मनमानी पर लगेगा अंकुश" के आलोक में क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य के कई अंचलों में दाखिल-खारिज के आवेदनों को नियमसंगत होने के बावजूद अस्वीकृत कर दिया जा रहा है तथा व्यक्तिगत लाभ लेने के बाद अंचलाधिकारी द्वारा अस्वीकृत को स्वीकृत कर दिया जा रहा है, जबकि ऐसे मामलों की समीक्षा अपर समाहर्ता के स्तर से किया जाना है ;

(2) क्या यह बात सही है कि राज्य में अंचलाधिकारी द्वारा अस्वीकृत आवेदनों को खुद ही स्वीकृत किये जाने के 18426 मामले चिह्नित हैं, परन्तु ऐसे मामलों के आरोपित 63 अंचलाधिकारी के विरुद्ध विभाग द्वारा कार्रवाई नहीं किया गया है, यदि हाँ, तो इसका क्या औचित्य है ?

प्रभारी मंत्री--(1) आंशिक स्वीकारात्मक । अबतक दाखिल-खारिज हेतु विभाग को प्राप्त ऑनलाइन आवेदनों की कुल संख्या 10925849 है, जिसमें से कुल निष्पादित आवेदनों की संख्या 10184474 है । निष्पादन के क्रम में विवादास्पद एवं प्राप्त आपत्ति के आधार पर कुल 4176393 आवेदनों को खारिज किया गया है तथा मात्र 741381 मामले ही लम्बित है । विवादास्पद एवं आपत्ति प्राप्त भूमि का दाखिल-खारिज करने से भूमि विवाद/न्यायिक मामलों/आपसी तनाव की संख्या में बढ़ोतरी होती है जो कि समाज एवं जनसमुदाय के हित में नहीं है । इसलिये दाखिल-खारिज निष्पादन के क्रम में प्राप्त आपत्तियों का सूक्ष्म जाँच करने के उपरान्त ही दाखिल-खारिज की प्रक्रिया सम्पन्न की जाती है ।

विभाग दाखिल-खारिज हेतु प्राप्त आवेदनों का ससमय त्वरित निष्पादन करने के लिये प्रतिबद्ध है । इस क्रम में विभाग द्वारा विभागीय पत्रांक 308(9), दिनांक 7 फरवरी, 2023 द्वारा सभी समाहर्ता को निदेशित किया गया कि दाखिल-खारिज आवेदनों को प्रत्येक स्तर पर यथा दाखिल-खारिज निष्पादन की कार्रवाई करने वाले प्रत्येक कर्मी/पदाधिकारी द्वारा तय अवधि एवं निर्धारित प्रावधान के तहत निष्पादित किया जायेगा और बिना स्पष्ट कारणों के अस्वीकृत नहीं किया जायेगा । साथ ही दाखिल-खारिज आवेदनों को निष्पादित करने के क्रम में FIFO (First in First Out) पद्धति का अनुपालन करना सुनिश्चित किया गया है तथा दाखिल-खारिज आवेदनों का त्वरित निष्पादन हेतु विभाग द्वारा राज्य के सभी अंचलों में

ODD-EVEN प्रणाली अपनाई गई है जिसमें अंचल अधिकारी के साथ-साथ राजस्व अधिकारी को भी दाखिल-खारिज करने की शक्ति प्रदान की गई है ।

(2) आंशिक स्वीकारात्मक । शिकायत प्राप्त होने पर अबतक कुल 71 अंचल अधिकारियों के विरुद्ध जाँचोपरान्त अनुशासनिक कार्रवाई आरंभ की गई है, जो प्रक्रियाधीन है ।

मानदेय में वृद्धि कराना

17. श्री भाई वीरेन्द्र (क्षेत्र संख्या-187 मनेर)--क्या मंत्री, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि राज्य में संचालित कम्फेड (सुधा डेयरी) में करीब 400 सुधामित्र कर्मी वित्तीय वर्ष 2020-21 से 19,500 रुपया प्रतिमाह मानदेय पर कार्यरत हैं, परन्तु विगत 2 वर्षों में महंगाई करीब 20 प्रतिशत वृद्धि होने के कारण उक्त वर्णित सुधामित्र कार्यरत कर्मियों को जीवन-यापन में काफी कठिनाई हो रही है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त सुधामित्र कार्यरत कर्मियों का मानदेय में वृद्धि करना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

संशोधन करना

18. श्री भाई वीरेन्द्र (क्षेत्र संख्या-187 मनेर)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पटना महानगर क्षेत्र के लिये पटना मास्टर प्लान, 2031, दिनांक 28 अक्टूबर, 2016 अधिसूचित हुई है, जिसके तहत ओपन स्पेस जोन (रिक्रिएशनल बफर) के रूप में वर्णित क्षेत्र में कई राष्ट्रीय एवं राज्य राजमार्ग पूर्व से निर्मित है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त ओपन स्पेस जोन में स्थित एन0एच0 एवं एस0एच0 के किनारे पेट्रोल पम्प के रिटेल आउटलेट स्थापित करने की अनुमति पटना महानगर क्षेत्रीय प्राधिकार द्वारा नहीं दिये जाने के कारण कई आवेदन लम्बित है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार उक्त वर्णित ओपन स्पेस जोन में पड़ने वाले एन0एच0 एवं एस0एच0 के दोनों तरफ 150 मीटर की दूरी तक पेट्रोल पम्प स्थापित करने हेतु स्वीकृति प्रदान करने हेतु मास्टर प्लान में कबतक संशोधन करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

19. श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह (क्षेत्र संख्या-194 आरा)--स्थानीय हिन्दी दैनिक समाचार-पत्र में दिनांक 15 मई, 2023 को प्रकाशित शीर्षक ''नगर निगम में 60 हजार कुत्तों की नसबंदी का ठेका उसे दिया गया जो संस्था रजिस्टर्ड नहीं'' को ध्यान में रखते हुये क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पटना नगर निगम आवारा कुत्तों की बढ़ती आबादी को नियंत्रित करने के लिये कुत्तों की नसबंदी का ठेका संतुलन जीव कल्याण संस्था को दिया है, जो संस्था 4 राज्यों में काली सूची में दर्ज है ;

(2) क्या यह बात सही है कि इस योजना पर सरकार द्वारा 6 करोड़ 78 लाख रुपये खर्च होना है, परंतु ब्लैक लिस्टेड कम्पनी को यह ठेका देने के कारण योजना की सफलता संदिग्ध हो गई है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार संतुलन जीव कल्याण संस्था के ठेका को रद्द करते हुये दोषी पदाधिकारियों पर कौन-सी कार्रवाई कबतक करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभार दिलाना

20. श्री आबिदुर रहमान (क्षेत्र संख्या-49 अररिया)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित 64वीं प्रतियोगिता परीक्षा में सफल अभ्यर्थी जिनकी राजस्व अधिकारी के पद पर विभाग द्वारा नियुक्ति की गई थी, जिनकी वरीयता की अनदेखी करते हुये कनीय अधिकारियों को भी अंचल अधिकारी का प्रभार दे दिया गया है, जिससे मेधा सूची में वरीय रहने वाले अधिकारियों के बीच रोष व्याप्त है, यदि हाँ, तो सरकार विभाग द्वारा प्रतिनियुक्त कनीय पदाधिकारियों के जिला में पदस्थापन की जाँच करते हुये मेधा सूची में वरीय राजस्व अधिकारी को प्रभार देने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

औचित्य बतलाना

21. श्री अखतरूल ईमान (क्षेत्र संख्या-55 अमौर)--स्थानीय हिन्दी दैनिक समाचार-पत्र में दिनांक 8 जून, 2023 को प्रकाशित शीर्षक "लक्ष्य 3.63 लाख, 1.42 लाख किसानों को ही कर्ज" के आलोक में क्या मंत्री, सहकारिता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य में वर्ष 2017 से फरवरी, 2023 तक सहकारी बैंकों के द्वारा 3.63 लाख किसानों को के0सी0सी0 ऋण देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था ;

(2) क्या यह बात सही है कि उपरोक्त लक्ष्य के विपरीत राज्य के सहकारी बैंक द्वारा मात्र 1.42 लाख किसानों को ही के0सी0सी0 ऋण दिया जा सका है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार के लक्ष्य के विपरीत लगभग आधे किसानों को ही के0सी0सी0 ऋण दिये जाने का क्या औचित्य है ?

प्रतिबंधित करना

22. श्री प्रेम कुमार (क्षेत्र संख्या-230 गया टाउन)--स्थानीय हिन्दी दैनिक समाचार-पत्र में दिनांक 4 मई, 2023 को प्रकाशित शीर्षक "130 निकायों में विशेष पर्यावरणीय दस्ता गठित नहीं" को ध्यान में रखते हुये क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य में एक जुलाई, 2022 से एकल उपयोग प्लास्टिक के निर्माण, आयात भंडाकरण, वितरण, बिक्री और उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध के बावजूद इसका उपयोग धड़ल्ले से हो रहा है, जिसे रोकने के लिये विशेष पर्यावरणीय दस्ता का गठन किया जाना है ;

(2) क्या यह बात सही है कि राज्य में 261 नगर निकायों में से अभीतक मात्र 130 निकायों में ही पर्यावरणीय दस्ता का गठन किया गया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार शेष बचे 131 नगर निकायों में विशेष पर्यावरणीय दस्ता का गठन करने के साथ ही एकल उपयोग प्लास्टिक के निर्माण, आयात भंडाकरण, वितरण, बिक्री और उपभोग पर पूर्ण प्रतिबंध कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पटना :
दिनांक 13 जुलाई, 2023 (ई0) ।

पवन कुमार पाण्डेय,
प्रभारी सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

बि0स0मु0, 28(एल0ए0), 2023-24-डी0टी0पी0-550